संख्या- 19/633/24-1-15-2021(बजट)/2014

प्रेषक:

सुरेश कुमार शर्मा,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,
शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 19 मार्च, 2015

विषय:-वित्तीय वर्ष 2014-15 में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा एफआरपी के अन्तर्गत निर्गत बन्ध पत्रों को राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहित किये जाने हेतु पावर कारपोरेशन में अंशपूजी विनियोजन हेतु प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक (वित्त), उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 के पत्र संख्या-30/मप्र (वित्त)/विप्र-2/253/आय-व्ययक/2015-15(अनुपूरक), दिनांक 12.02.2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा एफआरपी के अन्तर्गत निर्गत बन्ध पत्रों को राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहित किये जाने हेतु पावर कारपोरेशन में अंशपूजी विनियोजन हेतु प्राविधानित धनराशि रूपये 52,70,12,67,000/- (रूपये पॉच हजार दो सौ सत्तर करोड़ बारह लाख सड़सठ हजार मात्र) एवं लेखाशीर्षक 4801-बिजली परियोजनाओं पर पूॅजीगत परिव्यय -06- ग्रामीण विद्वुतीकरण- 190- सार्वजनिक क्षेत्र तथा उपक्रमों में निवेश-05 राजीव गांधी ग्रामीण विद्वुतीकरण योजना के अन्तर्गत वैट के भुगतान की प्रतिपूर्ति-30- निवेश ऋण में प्राविधानित धनराशि रूपये 5,00,00,000/- (रूपये पॉच करोड़ मात्र) में से धनराशि रूपये 33,000/- (रूपये तैंतीस हजार मात्र) को बीएम-9 के प्रपत्र के अनुसार पुनर्वियोग करते हुए कुल धनराशि रूपये 5,270,13,00,000/- (रूपये पॉच हजार दौ सौ सत्तर करोड़ तेरह लाख मात्र) को स्वीकृत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष अनुमति प्रदान करते है।

2- उक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का आहरण नगद न होकर समायोजन के माध्यम से किया जायेगा।

3- उक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु कारपोरेशन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रपत्र संख्या-42जी/शुद्ध पत्र संख्या- 426, दिनांक 13 जुलाई, 1971 द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर बिल बनाया जायेगा तथा तत्संबंधी बिल ऊर्जा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को प्रतिहस्ताक्षर हेतु उपलब्ध कराया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष समय-समय पर व्यय की गयी धनराशि का सम्पूर्ण विवरण यथा कोषागार का नाम जहाँ से धनराशि आहरित की गयी है, बाउचर संख्या, आहरण की तिथि, लेखाशीर्षक आदि तथा आहरित धनराशि के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश लखनऊ/ इलाहाबाद और ऊर्जा विभाग, तथा वित्त भाग, उत्तर प्रदेश शासन को नियमानुसार उपलब्ध कराने की बाध्यता होगी।

5- इस शासनादेश में निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन निदेशक (वित्त), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

6- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-9 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "4801-बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय -05-संचरण एवं वितरण-190-सार्वजनिक तथा अन्य उपक्रमों में निवेश- 03- उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा एफआरपी के अन्तर्गत निर्गत बन्ध पत्रों को राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहित किये जाने हेतु पावर कारपोरेशन में अंशपूँजी विनियोजन 30-निवेश/ऋण" के नामे डाला जायेगा तथा यह धनराशि लेखाशीर्षक 6003-राज्य सरकार का आंतरिक ऋण-190- अन्य संस्थाओं से कर्ज- 09-ऊर्जा विभाग-0903-डिस्कॉम्स की वित्तीय पुनर्गठन योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा बन्ध पत्रों का निर्गमन के अन्तर्गत जमा की जायेगी।

7- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या- ई- 10-यू0ओ0- 48/दस-2015, दिनांक 18 मार्च, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें है।

भवदीय,

(सुरेश कुमार शर्मा)
संयुक्त सचिव।

<u>संख्या- 19/633(1)/24-1-15, तददिनांक</u>।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एव हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद 211001।
2- महालेखाकार, (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठवां तल केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज लखनऊ।
3- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
4- वित्त (वयय-नियंत्रण) अनुभाग-10/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
5- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(सुरेश कुमार शर्मा)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in